

हम राम नरेश यादव एवं अविनाश यादव कनकशः अरुण एवं सचिव श्री हरिहर जी महोदयों के द्वारा संपादित संस्था हरिहर जी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की संरचना आत्मसाक्षात्कार शपथपत्रक निम्नलिखित बयान करते हैं-

यह है कि मैं उद्योग न्यायालय के आदेश दिनांक 31.5.2022 के अनुपालन में मेरी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा पी.सी.आर. के विरुद्ध मैं उद्योग न्यायालय में याचिका संख्या याचिका की गयी

1. यह है हमारी सोसाइटी/श्री हरिहर जी महोदयों के द्वारा संपादित संस्था हरिहर जी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की संरचना आत्मसाक्षात्कार शपथपत्रक निम्नलिखित बयान करते हैं।

2. यह कि उपरोक्त पत्र पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के ग्राह संख्या 3117 आदि एवं 0.299 हे० रकबा (कुल रकबा 1.019 हे०) पर उपरोक्त नाम की जिल्ला स्तरीय नकलीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 05/03/2022 द्वारा पारित किया गया है।

3. उपरोक्त संस्थान शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है।

4. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, भूमि विवाद स्थित है।

5. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर केवल उपरोक्त नाम की जिल्ला स्तरीय नकलीकी शिक्षण संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

6. यह कि, मैं द्वारा परिषद के पत्र संख्या प्राशिए/परिषद/2022-23/5175 दिनांक 27-06-2022 द्वारा संलग्न 16 बिंदुओं पर वांछित अभिलेख संलग्न किये गये हैं।

7. मैं घोषणा करता हूँ कि मैं द्वारा संलग्न अभिलेख एवं प्रविष्ट की गयी सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो मैं विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कार्रवाई संलग्न कादवाही की जा सकती। ऐसी की गयी विधिक कादवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होंगा।

(मैं सचिव एवं दिनांक सहित)
 रं. सचिव


(मैं सचिव एवं दिनांक सहित)
 रं. सचिव
